संख्याः 4652/VII-2-07/15-रा0मु0/2004

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उप निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड,
रूड़की।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांकः 11 सितम्बर, 2007

विषयः राजकीय मुद्रणालय रूड़की के औद्योगिक परिसर में पेपर रद्दी कागज के रख रखाव हेतु हैंगर हम यार्ड के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 284/VII-1/15-रा0मु0/04 दिनांक 01.03.2007, संख्याः 1413/VII-1/15-रा0मु0/04 दिनांक 26.03.2007 एवं आपके पत्र संख्या 2652/बजट/07 दिनांक 4.8.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मुद्रणालय रूड़की के औद्योगिक परिसर में पेपर रद्दी कागज के रख रखाव हेतु हैंगर हम यार्ड के निर्माण हेतु टी0ए0सी0 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 47.35 लाख के सापेक्ष उक्त शासनादेशों द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2007–08 में अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 16.90 (रू0 सोलह लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इस धनराशि का कोषागार से आहरण पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि के उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा।

2– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

3– स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या 284/VII-1/15-रा0मु0/04 दिनांक 01.03.2007 में इंगित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

4– कार्य दिनांक 31.03.2008 या इससे पूर्व पूर्ण कर राजकीय मुद्रणालय को हस्तगत करा दिया जायेगा और विलम्ब या अन्य कारणों से लागत में कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5— वर्षान्त तक स्वीकृत की गयी धनराशि के विपरीत व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो दिनांक [illegible] तक शासन को समर्पित किया जायेगा। व्यय उन्हीं योजना/कार्यों पर किया जाय जिन कार्यों हेतु यह स्वीकृत किया जा रहा है।

6— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007—08 के अनुदान संख्या—22 के मुख्य लेखाशीर्षक 4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय, 00—आयोजनागत, 103—सरकारी मुद्रणालय, 04—राजकीय मुद्रणालय के भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार, —00— 24—वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं० 377/XXVII(2)/2007,दिनांक 06 सितम्बर, 2007 के द्वारा उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 4652(1)/VII-2-07/[illegible]/04, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रूड़की—हरिद्वार।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की—हरिद्वार।
8. ✓ निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग—2
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।